प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 4 / 2019

1. देवेन्द्र पिता स्व. गोवर्धन कोलता, उम्र लगभग 28 वर्ष,
2. सुषमा, पिता गोवर्धन कोलता, उम्र लगभग 20 वर्ष,
3. श्रीमती. भार्गवी, पति मांधाता कोलता, उम्र लगभग 55 वर्ष,
4. कृष्ण कुमार पिता स्व. मांधाता कोलता, उम्र लगभग 30 वर्ष,
5. दीपा, पिता। मंधाता कोलता, उम्र लगभग 22 वर्ष,
6. रीता, पिता मांधाता कोलता, उम्र लगभग 20 वर्ष,
7. नाबालिग रश्मिता, पिता मांधाता कोलता, उम्र लगभग 17 वर्ष
   प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती भार्गवी, पति मांधाता कोलता
8. गीता, पति नरसिंह कोलता, पिता. मंधाता कोलता, उम्र लगभग 28 वर्ष,
9. मुरली पिता स्व. वृन्दावन कोलता, उम्र लगभग 40 वर्ष।

उपरोक्त सभी निवासी ग्राम सेमलिया, पोस्ट तोरेसिंहा,
तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)

----आवेदक/अपीलकर्ता

बनाम

1. विपिन, पिता डिंगरो कोलता उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम संबलपुरी,
   तहसील पदमपुर, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)
2. त्रिपुरा, पति स्व. मायाधर कोलता, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर,
   पोस्ट पाइकमाल, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)
3. पंचमी, पति भुजो कोलता, निवासी ग्राम झारबंद, पोस्ट झारबंद,
   जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

----उत्तरवादी/गैर-अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदकों के लिए:	श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए:	श्री एल.सी.दाश, अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 3 के लिए:	कोई नहीं

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश
28/03/2019

(1) आवेदकों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा 31.03.1997 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "व्य. प्र. सं.") के आदेश 9 नियम 13 के अधीन एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए उक्त न्यायालय के समक्ष 11.01.1999 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस बीच, उस आवेदन में उत्तरवादी संख्या 2 और उत्तरवादी संख्या 3 की मृत्यु हो गई, जिसके लिए उनके विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए आवेदन क्रमशः 6.4.1999 और 02.07.2001 को

प्रस्तुत किए गए थे, प्रतिस्थापन के लिए वे आवेदन लंबित रहे क्योंकि उन पर अभी तक विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था और व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन प्रस्तुत मुख्य आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा 24.04.2010 को योग्यता के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। विविध अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 43 नियम 1 (सी) के अधीन उनके विरुद्ध पेश की गई विविध अपील को भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध तत्काल सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

(2) आवेदकों/निर्णय ऋणियों के विद्वान वकील श्री मनोज परांजपे ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्य. प्र. सं. की धारा 141 के आधार पर व्य. प्र. सं. के आदेश 22 के प्रावधान विविध कार्यवाही में भी लागू होते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि व्य. प्र. सं. के आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन पर उत्तरवादी संख्या 2 और 3 के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाए बिना योग्यता के आधार पर निर्णय लेना पूरी तरह से अनुचित है और विविध अपीलीय न्यायालय ने भी व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अवैधता की है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए और व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन को कानून के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए अपने मूल क्रमांक पर बहाल किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) दूसरी ओर, डिक्री धारक/वादी/उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एल.सी. दाश ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन को निरस्त करने में दोनों निचली अदालतें न्यायोचित थीं, जो इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

(4) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

(5) पक्षकारों के बीच विवाद का अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए जीवित मृतक की उपस्थिति/उपलब्धता एक शर्त है, मृतक की मृत्यु के बाद प्रकरण का निर्धारण स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद प्रकरण के गुण–दोष पर कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके/उसकी विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नहीं लाया जाता है और इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रकरण के गुण–दोष पर तभी आदेश पारित करे जब मृतक जीवित हो।

(6) सर्वोच्च न्यायालय ने जलादि सुगुना (मृतक) बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट एवं अन्य[1] प्रकरण में व्य. प्र. सं. के आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधानों को अनिवार्य माना है। रिपोर्ट के प्रासंगिक पैरा में निम्न बातें कही गई हैं:–

> "14. जब अपील में उत्तरवादी की मृत्यु हो जाती है, और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है, तो मृतक उत्तरवादी के विधिक प्रतिनिधियों को अदालत द्वारा अपील में आगे बढ़ने से पहले अभिलेख पर लाना होगा। जहां उत्तरवादी–वादी जो मुकदमे में सफल हो गया है, अपील के लंबित रहने के दौरान मर जाता है, मृतक उत्तरवादी–वादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई पर दिया गया कोई भी निर्णय अमान्य होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, उसमें प्रथम उत्तरवादी (सुगुना) उत्तरवादी थी और दूसरी उत्तरवादी (किराएदार) केवल एक प्रोफार्मा उत्तरवादी थी। जब अपील में प्रथम उत्तरवादी की मृत्यु हो गई, तो उसकी संपत्ति के विरुद्ध अपील पर मुकदमा चलाने का अधिकार बच गया। इसलिए अपील के साथ आगे बढ़ने के लिए मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक था।
>
> 15. विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन दाखिल करना, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के बराबर नहीं है। जब आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक प्रतिनिधियों के रूप में नामित व्यक्तियों को अभिलेख पर लाया जाना चाहिए या नहीं। अदालत द्वारा ऐसा निर्णय होने तक, विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने, या मुकदमा चलाने या बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस बारे में कोई विवाद है कि विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो ऐसे विवाद पर निर्णय दिया जाना चाहिए। केवल जब विधिक प्रतिनिधि का प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। आदेश 22 नियम 5 के अधीन विधिक प्रतिनिधि कौन है, इसका निर्धारण निश्चित रूप से उस प्रकरण के न्यायनिर्णयन के लिए मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए होगा। ऐसे सीमित उद्देश्य के लिए ऐसा निर्धारण, विधिक प्रतिनिधि माने जाने वाले व्यक्ति को, मृतक की संपत्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के संबंध में, उस संपत्ति पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा जो मुकदमे का विषय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2008) 8 SCC 521

16. आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं। जब अपील में उत्तरवादी की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय केवल यह नहीं कह सकता कि वह मृतक उत्तरवादी की संपत्ति के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की सुनवाई करेगा और अपील का निपटारा करेगा। न ही वह मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह तय किए बिना विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को अपील में पक्षकार बना सकता है और गुण–दोष के आधार पर अपील की सुनवाई कर सकता है। न्यायालय मृतक उत्तरवादी का विधिक प्रतिनिधि कौन है, इस बारे में निर्णय को अपील के गुण–दोष के आधार पर तय किए जाने के लिए स्थगित नहीं कर सकता। संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहां यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक उत्तरवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संहिता में यह भी प्रावधान है कि यदि प्रतिवादियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और जीवित प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय उस पक्षकार के आवेदन पर मृतक उत्तरवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाएगा और फिर प्रकरण को आगे बढ़ाएगा। यद्यपि नियम 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि अपील की सुनवाई से पहले विधिक प्रतिनिधि का निर्धारण किया जाना चाहिए, लेकिन नियम 4 को नियम 11 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपील की सुनवाई तभी की जा सकती है जब विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत कार्यवाही में व्य. प्र. सं. के आदेश 22 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू होंगे या नहीं।

(8) व्य. प्र. सं. की धारा 141 के अनुसार, इस संहिता में मुकदमे के संबंध में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जहां तक इसे किसी भी सिविल अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में सभी कार्यवाही में लागू किया जा सकता है, इस प्रकार, व्य. प्र. सं. के आदेश 22 के नियम 4 और 5 में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं तथा व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत कार्यवाही में लागू होते हैं।

(9) जैसा कि उपर्युक्त प्रकरण (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा माना गया है, आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं, व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन पर सुनवाई करने वाली अदालत को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि दो उत्तरवादी पहले ही मर चुके हैं तथा आवेदन अपने विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए विचाराधीन है, इसलिए, विचारण न्यायालय को सबसे पहले यह तय करना चाहिए था कि क्या विधिक प्रतिनिधियों के रूप में

नामित व्यक्तियों को उस आवेदन में मृतक / उत्तरवादी संख्या 2 और 3 की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए, जो कि विचारण न्यायालय ने नहीं किया है और इसे निरस्त करके व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन योग्यता के आधार पर आवेदन तय करने के लिए आगे बढ़ा है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया उक्त निर्णय व्य. प्र. सं. के नियम 4 और 5 में निहित प्रावधानों के साथ–साथ जलादि सुगुना (मृतक) (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है। इस प्रकार, दिनांक 31.10.2018 के विविध अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दिनांक 24.04.2010 (अनुलग्नक ए –10) का आदेश निरस्त करने योग्य है।

(10) तदनुसार, दिनांक 24.04.2010 का आदेश (अनुलग्नक ए–10) अपास्त किया जाता है और परिणामस्वरूप विविध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.10.2018 का आदेश भी अपास्त किया जाता है। प्रकरण को व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन कानून के अनुसार आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए विचारण न्यायालय को भेजा जाता है। विचारण न्यायालय व्य. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन पर विचार करेगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा, व्य. प्र. सं. के आदेश 22 नियम 4 के अधीन आवेदन पर विचार करने के बाद, क्योंकि मूल मुकदमा 2.8.1984 को प्रस्तुत किया गया था।

(11) सिविल पुनरीक्षण को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(संजय के अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।